उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

आयोग भवन, हरिद्वार
website-www.ukpsc.gov.in
दूरभाषः 01334–244143, 01334–244282 (Fax), 07060002410

मा0उच्च न्यायालय नैनीताल में सहायक समीक्षा अधिकारी/अनुवादक/टाईपिस्ट/ असिस्टेंट लाइब्रेरियन परीक्षा–2018

विज्ञापन संख्याः– 01/विज्ञापन/ई–3/2018–19
विज्ञापन प्रकाशन की तिथि– 10 दिसम्बर, 2018

ऑन लाईन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि –	31.12.2018 (समय रात्रि 11:59:59) बजे तक
परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit card /Credit Card/ CSC Connect द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि –	31.12.2018(समय रात्रि 11:59:59) बजे तक

अति महत्वपूर्ण निर्देश :–

(1) अभ्यर्थी उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट् याचिका (स्पेशल अपील) संख्याः 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.2010 के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।

(2) आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की सन्निरीक्षा नियमावली के प्राविधानानुसार सम्पादित की जायेगी।

3) अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के संबंध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date), वह तिथि मानी जाएगी जो अंक–पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण में, (Result Declaration Date) के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक–पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन हो।

(4) विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतया अभ्यर्थी की होगी।

(5) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 31.12.2018 तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों।

(6) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रिन्टआउट प्रति भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें। ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट प्रति अथवा किसी भी प्रमाण पत्र को तत्काल आयोग को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। शैक्षिक अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र, प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात प्राप्त किये जायेंगे।

(7) फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं से अधिकतम् 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना/लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।

(8) ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के उपरान्त आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र इत्यादि की प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(9) ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लें तथा ऑन लाइन आवेदन पत्र को सही–सही भरें।

(10) प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाईन आवेदन पत्र एवं Net Banking/Debit Card/Credit Card/CSC Connect के माध्यम से ही परीक्षा शुल्क स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन पत्र/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(11) अभ्यर्थी यदि किसी पद के अनुरूप शैक्षिक अर्हता धारित करता है, तभी वह उक्त पद हेतु ऑन लाईन आवेदन भर पायेगा। अभ्यर्थी विभिन्न पदों के लिए पृथक–पृथक आवेदन करेगा एवं शुल्क भी पृथक–पृथक जमा करना होगा, किसी भी दशा में एक ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी एक से ज्यादा पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। उदाहरण–यदि एक सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी सहायक समीक्षा अधिकारी (शुल्क ₹150) तथा अनुवादक (शुल्क ₹150) हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करता है तो वह दोनों पदों हेतु पृथक–पृथक ऑनलाइन आवेदन करेगा तथा उसको उक्त दोनों पदों हेतु निर्धारित शुल्क भी पृथक–पृथक (₹150+₹150=₹300) जमा करना होगा।

(12) आवेदन पत्र भरने करने की अंतिम तिथि व नियत समय तक अभ्यर्थी द्वारा "Online Application" प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र "Submit" करने एवं नियत समय तक Net Banking/Debit Card/Credit Card/CSC Connect के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करने पर ही "Online Application" प्रक्रिया पूर्ण मानी जायेगी।

(13) अभ्यर्थी प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा के आयोजन हेतु नगरों की सूची के लिए परिशिष्ट–1, प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा के पाठ्यक्रम के लिए परिशिष्ट–2, मुख्य परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के लिए परिशिष्ट–3, अनुभव प्रमाण–पत्र के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु परिशिष्ट–4 एवं अनिवार्य रूप से अर्हकारी अंक प्राप्त करने हेतु परिशिष्ट–5 का अवलोकन करें।

(14) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करते हुए अंतिम तिथि से पूर्व ही अपना आवेदन पत्र अवश्य भर लें।

(15) अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा से पूर्व समस्त अनिवार्य शैक्षिक, अधिमानी, अनुभव, आरक्षण, निवास, सेवायोजन पंजीकरण, अनापत्ति आदि से सम्बन्धित स्वप्रमाणित प्रमाण पत्रों को आयोग कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

(16) प्रश्नगत चयन हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा का आयोजन परिशिष्ट–3 में पदानुसार वर्णित पाठ्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर परिशिष्ट–2 में प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा हेतु वर्णित पाठ्यक्रम के अनुसार स्क्रीनिंग/प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है, जिसके आयोजन की तिथि की सूचना यथासमय पृथक से आयोग की वेबसाइट तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में सहायक समीक्षा अधिकारी/अनुवादक/टाईपिस्ट/असिस्टेंट लाइब्रेरियन के रिक्त कुल 65 पदों पर सीधी भर्ती (परीक्षा माध्यम) द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट www.ukpsc.gov.in पर दिनांक 31.12.2018 तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों द्वारा आयोग की वेबसाइट पर One Time Registration (OTR) नहीं किया गया है। उन्हें ऑनलाइन आवेदन के पूर्व OTR भरना अनिवार्य है। उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा की प्रक्रिया अपनायी जायेगी परन्तु रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में स्कीनिंग/प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन अल्मोड़ा, हल्द्वानी, हरिद्वार एवं श्रीनगर नगरों में किया जायेगा। जिसका आयोजन माह फरवरी, 2019 में किया जाना सम्भावित है। प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों हेतु मुख्य

परीक्षा का आयोजन हरिद्वार नगर में किया जायेगा। प्रारम्भिक परीक्षा/मुख्य परीक्षा के संबंध में परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय पृथक से आयोग की वेबसाइट तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकेंगे। डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किये जायेंगे।

01. **रिक्तियों की संख्या** :– रिक्तियों की कुल संख्या 65 है। रिक्तियों की यह संख्या बढ़ायी या घटायी जा सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नवत है:–

क्र.सं.	पद का नाम	पद की श्रेणी	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अर्न्तगत रिक्त पदों की संख्या			
					महिला	स्व0सं0 सेनानी आश्रित	पूर्व सैनिक	निःशक्त (विकलांग)
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
01	सहायक समीक्षा अधिकारी	समूह–ग	अनारक्षित	35	11	01	02	01 (OL/BL/OA)
			अनुसूचित जाति	10	03	–	–	–
			अन्य पिछडा वर्ग	09	03	–	–	–
			अनु0 जनजाति	02	01	–	–	–
			योग	56	18	01	02	01
02	अनुवादक	समूह–ग	अनारक्षित	04	01	–	–	–
			अनुसूचित जाति	01	–	–	–	–
			अन्य पिछडा वर्ग	01	–	–	–	–
			अनु0 जनजाति	–	–	–	–	–
			योग	06	01	00	00	00
03	टाईपिस्ट	समूह–ग	अनारक्षित	–	–	–	–	–
			अनुसूचित जाति	01	–	–	–	–
			अन्य पिछडा वर्ग	01	–	–	–	–
			अनु0 जनजाति	–	–	–	–	–
			योग	02	00	00	00	00
04	असिस्टेंट लाइब्रेरियन	समूह–ग	अनारक्षित	01	–	–	–	–
			अनुसूचित जाति	–	–	–	–	–
			अन्य पिछडा वर्ग	–	–	–	–	–
			अनु0 जनजाति	–	–	–	–	–
			योग	01	00	00	00	00
			कुल योग –	65	19	01	02	01

नोट–1 रजिस्ट्रार जनरल, मा0उच्च न्यायालय नैनीताल के पत्र संख्या : 4355/UHC/Admin.A/2017 दिनांक 07 अक्टूबर, 2017 के क्रम में प्रश्नगत पदों हेतु विकलांग अभ्यर्थियों हेतु निम्नानुसार क्षैतिज आरक्षण लागू होगा–

As per the G.O. no. 1144/Karmik-2-2001-53(1)/2001 dated 18.07.2001, the horizontal reservation is given to the Physically Handicapped Persons for the disabled categories i.e. 'OL', 'BL' and 'OA' for the post of Assistant Review Officer, but such persons must have to furnish a fitness certificate in this regard.

उपरोक्त तालिका में उल्लिखित सहायक समीक्षा अधिकारी हेतु 01 पद विकलांगता की श्रेणी (OL, BL, OA) हेतु आरक्षित है।

<u>नोट–2 समूह 'ग' के पदों पर भर्ती के लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता :–</u>

(i) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 के नियम 04 के अनुसार उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत **समूह–ग** के पद पर भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अवश्य पंजीकृत हो।

परन्तु शासन के पत्रांक 1097/ XXX (2)/2011, दिनांक 08 अगस्त, 2011 के अनुसार "जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित है, किन्तु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं है। "उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–310/XXX(2)/2015 दिनांक 28.07.2015 के अनुसार समूह 'ग' के पद हेतु केवल राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत् व्यक्ति को ही सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं है, जिसमें केन्द्र अथवा अन्य राज्य की सेवाऐं सम्मिलित नहीं है।"

*ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं से इतर अन्य सेवाओं में कार्यरत है, वह अपने विभाग से सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावों के कम में जिनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, को इस शर्त के साथ औपबन्धिक रूप से अर्ह किया जायेगा कि वह इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि उनके द्वारा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है तथा उसकी सूचना सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालय को दे दी गयी है। इस प्रकार उक्त दोनों आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस अभ्यर्थी को अर्ह माना जायेगा।

(ii) शासन के पत्रांक 809/XXX(2)/2010–3(1)/2010, दिनांक 14 अगस्त, 2012 के अनुसार "जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है, उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा सम्बन्धित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जाएगा।"

<u>विज्ञापित पदों का विस्तृत विवरण</u>

<u>02. (क) सहायक समीक्षा अधिकारी</u>

(i) कुल पदों की संख्या–56

(ii) वेतनमान – लेवल–7 (प्रारम्भिक मूल वेतन ₹ 44900/–)

(iii) पद का स्वरूप – अराजपत्रित पद, अस्थायी, अंशदायी पेंशन योजना।

(iv) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता–

1. He/She must possess a Bachelor's degree of a University established by law in India or qualification recognized as equivalent thereto.
2. Speed of minimum 9000 key depression per hour in English Typing would be essential. Test of basic knowledge of Computer operation shall be conducted, which will include:
   (i) Windows and Internet.
   (ii) M.S Word
   (iii) M.S Excel
   (iv) M.S Powerpoint

Explanation: Test of knowledge of Computer operation shall be of qualifying nature, in which minimum 40% marks would be required to be obtained. Both the parts carry 50 marks each.

(ख) अनुवादक

(i) कुल पदों की संख्या –06

(ii) वेतनमान – लेवल–5 , (प्रारम्भिक मूल वेतन ₹ 29200/–)

(iii) पद का स्वरूप – अराजपत्रित पद, अस्थायी, अंशदायी पेंशन योजना।

(iv) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता–

Graduate in any stream with Diploma/Certificate Course in Translation from Hindi to English and vice versa from University/Institution, recognized by Government or two years previous experience in Translation works from Hindi to English and vice versa in any Central/State Government Offices/Parliament/State Legislature Secretariats or Central/State Public Sector Undertakings/Supreme Court of India/High Courts/Subordinate Courts.

The qualifying marks for the General Category would be 50% and for SC/ST/OBC would be 45%.

(ग) टाईपिस्ट

(i) कुल पदों की संख्या–02

(ii) वेतनमान – लेवल–5 (प्रारम्भिक मूल वेतन ₹ 29200/–)

(iii) पद का स्वरूप – अराजपत्रित पद, अस्थायी, अंशदायी पेंशन योजना।

(iv) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता–

1. Must possess a Bachelor's Degree of a University established by Law in India or a qualification recognized by the State Government as equivalent thereto;

2. Must possess good knowledge of English typing with minimum speed of 9000 key depression per hour on the Computer; and

3. Must possess thorough knowledge of Hindi and English and sufficient knowledge of operating Computer.

(घ) असिस्टेंट लाइब्रेरियन

(i) कुल पदों की संख्या–01

(ii) वेतनमान – लेवल–8 (प्रारम्भिक मूल वेतन ₹ 47600/–)

(iii) पद का स्वरूप – अराजपत्रित पद, अस्थायी, अंशदायी पेंशन योजना।

(iv) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता–

1- Degree in law and Diploma in Library Science from a recognized University.

2- Basic Knowledge of Computer Operation

03. आयु सीमा :– (क) आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। (आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2018 है अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 1997 के पश्चात् व 02 जुलाई, 1976 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।)

(ख) उच्चतम आयु सीमा में छूट :–

विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय–समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार द्वारा प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

नोट– मा0 उच्च न्यायालय की अधिसूचना दिनांक 06 अगस्त, 2014 एवं 31 अक्टूबर, 2014 के नियम–25 जो कि निम्नानुसार वर्णित है, के अनुसार मा0 उच्च न्यायालय में कार्यरत कार्मिकों को उच्च आयु–सीमा में छूट प्रदान की जायेगी–

"Provided further that in case of members of the High Court staff, a relaxation by five years may, in suitable cases, be made by five years may, in suitable cases, be made by the Chief Justice.

Provided also that no candidate shall, by virtue of relaxation of age under this rule, have more than three opportunities to appear at the competitive examination or selection."

04. सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण :– उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक वैध पंजीकरण अनिवार्य है। सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण संबंधी विस्तृत विवरण हेतु विज्ञापन के प्रारम्भ में रिक्तियों की संख्या की तालिका के नीचे 'नोट–2' देखें।

05. राष्ट्रीयता : No person shall be appointed to the establishment of High Court of Uttarakhand, unless he/she be a citizen of India.

06. <u>**चरित्र**</u> **:–** The character of a person for direct recruitment to the service must be such as to render him suitable in all respect for appointment to the service. It will be the duty of the appointing authority to satisfy himself on this point.

Note- Persons dismissed by the Union Government or by a State Government or by a Local Authority or a Government Corporation owned or controlled by the Central Government or state Government will be deemed to be ineligible for the appointment under these rules.

07. <u>**वैवाहिक स्थिति (Marital Status)**</u> :– A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a person already having a wife living shall not be eligible for recruitment to the establishment:

Provided that the Chief Justice may, if satisfied that there are any special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

08. <u>**शारीरिक स्वस्थता (Physical Fitness)**</u> :– **(1)** No person shall be recruited to the establishment unless he/she be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his official duties. Before a candidate recruited directly is finally approved for appointment to the establishment he shall be required to produce a medical certificate of physical fitness.

(2) If the post of librarian is filled by direct recruitment the candidate shall before he is finally approved for appointment,be required to pass the examination by the Medical Board as may be prescribed by the appointing authority.

09. <u>**आरक्षण**</u> :– ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण, शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी अभ्यर्थियों को अनुमन्य होगा। आरक्षण संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक, निःशक्त (विकलांग), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा महिला श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी, **जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।** ऐसे अभ्यर्थी केवल अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन कर सकेगें।

(ख) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(ग) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी / उपश्रेणी के समर्थन में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर यथासमय प्रस्तुत करना होगा। जहाँ प्रमाण–पत्र के साथ शपथ–पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहाँ वांछित शपथ–पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर आवेदन–पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर यथासमय प्रस्तुत करें।

(घ) विकलांग आरक्षण के लाभ हेतु विकलांगता की विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में <u>कम से कम 40 प्रतिशत</u> की विकलांगता होना अनिवार्य है। विभाग में जिस–जिस विकलांगता हेतु पद आरक्षित होंगे, उसी विकलांगता श्रेणी हेतु आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

(ड़) पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ केवल ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्य कर्मियों को शासनादेश संख्याः 133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009 दिनांक 16 मार्च, 2009 के अनुसार अनुमन्य होगा। सैन्य कर्मियों के आश्रितों को उक्त आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा।

10. ऑनलाईन आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां :– ऑनलाईन आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत् हैं–

1	विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	10.12.2018
2	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	31.12.2018 **(रात्रि 11: 59:59 बजे तक)**
3	परीक्षा शुल्क Net Banking/ Debit Card / Credit Card/ CSC Connect द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	31.12.2018 **(रात्रि 11:59:59 बजे तक)**

11. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया :–

(1) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in या www.ukpsconline.in पर जायें।

(2) नये यूजर www.ukpsconline.in पर जाकर सर्वप्रथम स्वयं को **One Time Registration (OTR)** में **पंजीकृत** करें। (OTR में रजिस्टर करने हेतु विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in या www.ukpsconline.in पर उपलब्ध हैं)।

(3) पूर्व में पंजीकृत यूजर अपने **यूजर आई0 डी0** एवं **पासवर्ड** से अपने Account में लॉग इन करें।

(4) लॉग इन करने के उपरान्त अभ्यर्थी **"Online Application"** पर क्लिक करें।

(5) आयोग द्वारा जारी समस्त विज्ञापन प्रदर्शित हो जायेंगे। अभ्यर्थी **"High Court's Staff (ARO/ Translator/Typist/Assistant Librarian) Exam - 2018"** के सम्मुख **"Click here to Apply"** पर क्लिक करें।

(6) अगर अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तो को पूर्ण करता है तो अभ्यर्थी द्वारा OTR पर अंकित की हुई जानकारी स्वतः ही **आवेदन फार्म** पर प्रदर्शित हो जायेगी। उक्त के अतिरिक्त **आवेदन फार्म** को **विज्ञापन के शर्त के अनुसार** सही–सही भरें एवं फार्म पर प्रदर्शित निर्देशों का पालन करें। असत्य सूचना देने पर अभ्यर्थी का **अभ्यर्थन निरस्त** माना जायेगा तथा ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा कराये जाने वाली **आगामी परीक्षाओं से भी प्रतिवारित** कर दिया जायेगा।

(7) आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक जाँच लें। भरी गयी **प्रविष्टियों में शंका होने** पर अथवा किसी **त्रुटि की** दशा में अभ्यर्थी अपने OTR पर जाकर उक्त प्रविष्टियों को ठीक करवा लें एवं पुनः आवेदन करें। भरी गयी प्रविष्टियों के एकदम सही होने की दशा में ही आवेदन पत्र के अंत में **Submit Button** पर क्लिक करें। अभ्यर्थी के आवेदन पत्र में भरी गयी **सूचनाओं को ही अन्तिम** माना जायेगा।

(8) **"You have successfully submitted your application for "<u>High Court's Staff (ARO/ Translator/Typist/Assistant Librarian) Exam-2018</u>"** का संदेश स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगा।

(9) अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु **"My Application"** पर क्लिक करें। उसके पश्चात् **"Please select year "** से वर्ष एवं **"Select Post Name"** से पद **Select** करें।

(10) प्रदर्शित हुए आवेदन पर Tick कर उसके सम्मुख **"<u>Pay Now</u>"** पर क्लिक कर अपना परीक्षा शुल्क जमा करें।

(11) परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरान्त अभ्यर्थी चाहें तो **त्रुटि होने पर** अपना **आवेदन रद्द (cancel)** कर पुनः **आवेदन** कर सकते हैं। किन्तु आवदेन **रद्द (cancel)** करने पर जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नही होगा।

(12) अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक / स्क्रीनिंग परीक्षा अथवा मुख्य परीक्षा के सम्बन्ध में यदि कोई गलत सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत किये जाते हैं, तो उन्हें सम्बन्धित परीक्षा व आयोग द्वारा प्रस्तावित समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

12. शुल्क : अभ्यर्थी आवेदन पत्र के शुल्क का भुगतान नेट बैंकिग / डेबिट कार्ड / केडिट कार्ड / सीएससी कनेक्ट के माध्यम से निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है:-

क्र0सं0 (Sr. No.)	श्रेणी (Category)	आवेदन-शुल्क (Application Fees)	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fees with Tax)	कुल शुल्क (Total Fees)
01.	सामान्य	रू0 150	रू0 35.40	रू0 185.40
02.	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	रू0 150	रू0 35.40	रू0 185.40
03.	उत्तराखण्ड अनुसूचित / अनुसूचित जनजाति	रू0 60	रू0 35.40	रू0 95.40
04.	उत्तराखण्ड शारीरिक विकलांग	कोई शुल्क नहीं	रू0 35.40	रू0 35.40

<u>Note</u> (i)- उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / पूर्व सैनिक / उत्तराखण्ड महिला जिस वर्ग या श्रेणी, यथा-सामान्य श्रेणी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की हों, उन्हें उसी <u>वर्ग / श्रेणी</u> हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

(ii)- अनुवादक, टाईपिस्ट एवं सहायक लाइब्रेरियन पद हेतु विकलांग अभ्यर्थी चाहें वह किसी श्रेणी / उपश्रेणी के हों तथा सहायक समीक्षा अधिकारी पद हेतु OL, BL, OA विकलांग उपश्रेणी के उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क से छूट अनुमन्य होगी, किन्तु प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित रू0 35.40 देय होगी।

<u>13. अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देश :-</u>

(1) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों / नियमावलियों / मैनुअल्स / मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(2) अभ्यर्थियों हेतु **Uttarkhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules – 2013** एवं **प्रथम संशोधन** 2016 और उत्तराखण्ड परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली–2012 यथा संशोधित (प्रथम संशोधन–2013), (द्वितीय संशोधन–2014), (तृतीय संशोधन–2015) व (चतुर्थ संशोधन–2016) आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

नोट– मा0 उच्च न्यायालय की अधिसूचना दिनांक 06 अगस्त, 2014 के नियम–9 के उपनियम–(viii) में अनुवादक के पद जो कि पृष्ठ संख्या–3 के पदों की सारणी के क्रम संख्या–2 पर उल्लिखित है, हेतु प्रतियोगी परीक्षा के प्रत्येक चरण में न्यूनतम अर्हकारी अंक सामान्य श्रेणी के लिए 50 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 45 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गये हैं तद्नुसार ही न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करना होगा। अन्य पदों हेतु आयोग की प्रचलित नियमावलियों द्वारा ही परीक्षा के प्रत्येक चरण में न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(3) अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर डाउनलोड करने हेतु उपलब्ध कराये जायेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति, राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(4) लिखित परीक्षा (मुख्य परीक्षा) में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीवार/उपश्रेणीवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार मैरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जायेगा। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करायी जायेगी। **अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में निम्नवत् निर्देशों का पालन करना होगा–**

1. अभ्यर्थी अपने साथ लेखन सामग्री लायें। अभ्यर्थी अपने साथ लायी गयी पुस्तक, नोट्स, कागज आदि परीक्षा कक्ष के बाहर निर्धारित स्थान पर जमा कर दें। यद्यपि इन वस्तुओं की सुरक्षा का प्रबन्ध रहेगा फिर भी यदि सामान खो जाता है तो इसका दायित्व आयोग का नहीं होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के पास नकल करने की कोई सामग्री पकड़ी जाती है तो अभ्यर्थी को उस परीक्षा विशेष से तथा आयोग की आगामी परीक्षाओं तथा चयन (Selection) से वंचित (Disqualify) किया जा सकता है, चाहे उक्त सामग्री का प्रयोग नकल करने में किया गया हो अथवा नहीं।
2. मुख्य उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर केवल निर्धारित स्थान पर ही अंकों एवं शब्दों में अनुक्रमांक लिखें। अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं के आवरण पृष्ठों पर ऊपर दाहिनी ओर शीर्ष पर अनुक्रमांक लिखे जायें। प्रश्नोत्तर में, यदि नाम या पता लिखना जरूरी हो तो नाम के लिए XYZ अथवा **'अबस'** एवं पता के स्थान पर ABC अथवा **'कखग'** लिखें। प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कोई असंगत, अप्रासंगिक तथा अवांछनीय बात लिखने पर आयोग अपने विवेकानुसार अभ्यर्थी को दण्डित कर सकता हैं।
3. परीक्षा भवन छोड़ने से पूर्व मुख्य उत्तर–पुस्तिका एवं अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं को एक साथ धागे से अवश्य बांधें।
4. प्रश्न–पत्र दिये गये निर्देशों के अनुसार ही हल करें। यदि निर्धारित संख्या से अधिक प्रश्न हल किये जाते हैं तो प्रारम्भ से लेकर निर्धारित संख्या तक कुल किये गये प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जायेगा और शेष की उपेक्षा की जायेगी। यदि किसी प्रश्नोत्तर को आपके द्वारा काटा जाता है तो काटने के बाद उसके नीचे यह अवश्य लिखा जाए कि उत्तर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं काटा गया है और उसका मूल्यांकन न किया जाए।
5. प्रत्येक सत्र की परीक्षा समाप्ति पर अभ्यर्थी तब तक अपने स्थान पर बैठे रहेंगे जब तक उनकी उत्तर पुस्तिका कक्ष निरीक्षक द्वारा जमा न कर ली जाय। परीक्षा समय समाप्ति के पश्चात कोई भी अभ्यर्थी उत्तर लिखने का प्रयास नहीं करेगा।
6. अभ्यर्थी प्रश्न–पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में या हिन्दी देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं, परन्तु भाषा के प्रश्न–पत्रों का उत्तर उसी भाषा में दिया जाना आवश्यक है। किसी एक ही प्रश्न–पत्र के कुछ प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी और कुछ का हिन्दी में लिखना अथवा एक ही प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों में लिखना वर्जित है, अर्थात प्रश्न पत्र का सम्पूर्ण

रूप में, उपर्युक्त में से किसी एक भाषा में उत्तर देना आवश्यक है। आवश्यकतानुसार प्राविधिक शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी में किया जा सकता है। मिश्रित भाषा में उत्तर देने पर अंकों में कटौती की जा सकती है।

7. अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका के बीच में खाली पृष्ठों को (यदि कोई हो) "क्रास" करेंगे तथा प्रयोग की गयी कुल उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या मुख्य उत्तर–पुस्तिका के प्रथम आवरण पृष्ठ पर लिखेंगे, जिन्हें कक्ष निरीक्षकों द्वारा चैक किया जायेगा।

8. उत्तर पुस्तिका के पन्ने के दोनों ओर लिखें। उत्तर–पुस्तिका से कोई पन्ना न फाड़ें। यदि किसी पृष्ठ पर रफ कार्य (Rough Work) किया जाए या कोई उत्तर भूल से लिखा जाए तो उसे आर–पार रेखाएं खींच कर काट दें, किन्तु पन्ना कदापि न फाड़ें।

9. उत्तर लिखने में अनुदेशों का उल्लंघन करने पर दण्डस्वरूप निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी–

(i) पेन्सिल से लिखे गये उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

(ii) मिश्रित भाषा का प्रयोग करने पर प्रति प्रश्न 5 प्रतिशत अंक की कटौती की जायेगी।

(iii) प्रश्न संख्या न लिखने अथवा गलत लिखने पर 01 अंक, प्रश्न का खण्ड न लिखने अथवा गलत लिखने पर 1/2 अंक तथा प्रश्न का उपखण्ड न लिखने अथवा गलत लिखने पर 1/4 अंक की कटौती की जायेगी।

(iv) उत्तर पुस्तिका में असंगत/धार्मिक चिह्न/आपत्तिजनक शब्दावली का प्रयोग करने पर 01 अंक की कटौती की जायेगी।

(v) उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर एक या अनेक बार अनुक्रमांक अथवा नाम लिखने पर 02 अंकों की कटौती की जायेगी।

(vi) उत्तर पुस्तिका में नाम और अनुक्रमांक दोनों एक साथ एक बार या अनेक बार लिखने पर 03 अंकों की कटौती की जायेगी।

(vii) उत्तर पुस्तिका में अप्रसांगिक बातें लिखने तथा अनुक्रमांक और नाम तीनों एक साथ लिखने पर 04 अंकों की कटौती की जायेगी।

(viii) उत्तर पुस्तिका में परीक्षक से अपील/अनुरोध करने पर 02 अंक की कटौती की जायेगी।

(ix) उत्तर पुस्तिका में असंगत/अप्रासांगिक बाते लिखने तथा अनुक्रमांक एवं नाम और परीक्षक से अपील (अनुरोध/अनुनय/अभ्यर्थना) करने सहित चारों को एक साथ, एक या अनेक बार लिखने पर 05 अंक की कटौती की जायेगी।

(x) प्रश्न के उत्तर के रूप में पत्र लेखन में नाम के स्थान पर XYZ या **'अबस'** एवं पते के स्थान पर ABC या **'कखग'** के अलावा काल्पनिक अथवा वास्तविक नाम एवं पता लिखने पर 02 अंक की कटौती की जायेगी।

(xi) उत्तर लिखने में नीली अथवा काली स्याही के अतिरिक्त अन्य रंग की स्याही का प्रयोग करने पर प्रति प्रश्न 02 अंक की कटौती की जायेगी।

(5) मुख्य (लिखित परीक्षा) से पूर्व अभ्यर्थियों के समस्त शैक्षणिक व आरक्षण सम्बन्धी दावों को मूल प्रमाण पत्रों से परीक्षण किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(6) मूल प्रमाण पत्र के सत्यापन के समय ही अभ्यर्थी को पासपोर्ट आकार के दो स्वप्रमाणित फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।

(7) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों में सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक का 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' मूल रूप में अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(8) प्रारम्भिक परीक्षा में (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का प्रश्नपत्र होगा तथा प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी।

(9) गलत उत्तरों के लिए दण्ड– वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा–

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प उत्तर है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंको का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।

(ख) प्रत्येक प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यदि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(10) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से संबंधित उत्तर कुंजी / कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 10 दिनों के भीतर प्रश्न पत्र एवं संबंधित उत्तर के संबंध में अपना प्रत्यावेदन ई–मेल के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते है। आपत्ति के सम्बन्ध में प्रत्येक अभ्यर्थी से प्रति–प्रश्न रू0 50/–(पचास रूपये मात्र) शुल्क के रूप में लिये जायेंगें। यदि अभ्यथी द्वारा प्रति–प्रश्न आपत्ति निर्धारित शुल्क भुगतान नहीं किया जाता है, तो आयोग द्वारा उक्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(11) परीक्षा के किसी भी स्तर में कैलकुलेटर का प्रयोग वर्जित है।

(12) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते है तो उन पर लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परिक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी अन्य किसी इलैक्ट्रोनिक उपकरण सहित किसी प्रकार कि प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध सुरक्षित नहीं किया जा सकता है।

(13) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण–पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की समस्त परीक्षाओं के लिए प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है और उसके विरूद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(14) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(15) मूल आवेदन पत्र में दर्शाये गए विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(16) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन पत्र, उपस्थिति सूची आदि में तथा आयोग के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो आयोग उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।

(17) हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न न किए जाने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(18) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(19) यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(20) **<u>अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित</u>**:– कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(21) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरूद्ध **Uttarkhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules – 2013 एवं प्रथम संशोधन–2016** के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(22) **कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही**:– अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

(23) <u>अँगूठे का निशान (**Thumb Impression**)</u> :– सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में उत्तर–पत्रक के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरूष अभ्यर्थी की दशा में बाँये अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दाँये अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे। अँगूठे का निशान अंकित न करने पर उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

(24) <u>परीक्षा भवन में आचरण</u> :– परीक्षा केन्द्र/कक्ष में अभ्यर्थी न तो किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे और न ही अव्यवस्था फैलायेंगे तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान भी नही करेंगे। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा।

(25) आयोग से किए जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन सं0 तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्यक किया जाना चाहिए।

(26) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि आयोग/शासन को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(27) अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जायेगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का समय–समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

(28) प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन एवं नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/केडिट कार्ड/सी0एस0सी0 कनेक्ट के माध्यम से परीक्षा शुल्क ही स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(29) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा :–1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा तथा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर प्रत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुकमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कूट–रचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए है, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बाते लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुचायी हो, 11. परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रानिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के

साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हैं, अथवा 13. उपर्युक्त खंडो में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (ii) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है। (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (i) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

(30) निम्नलिखित अभिलेख आयोग कार्यालय द्वारा वांछित होने पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा–

(क) शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित अंकतालिका, प्रमाण–पत्रों एवं आरक्षण श्रेणी/उप श्रेणी से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियाँ तथा आयु के प्रमाण हेतु हायर सैकेन्ड्री/हाईस्कूल का प्रमाण–पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र इत्यादि।

(ख) जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण–पत्र किसी भी आरक्षित श्रेणी/श्रेणियों के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की पुष्टि में। उत्तराखण्ड शासन के अद्यतन शासनादेश सं0– 310/XVII–2/16–02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए।

(ग) क्षैतिज आरक्षण एवं आयु में छूट की प्राप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(31) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते है, आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

(32) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन के अन्त में प्रकाशित पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लघंन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन–पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(33) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के सभी स्तम्भ स्पष्टतः पूर्ण रूप से भरे होने चाहिए तथा किसी भी स्तम्भ को अपूर्ण या रिक्त न छोड़े। अस्पष्ट, संदिग्ध तथा भ्रामक होने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

नोट :– अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में किये जाने वाले अपने समस्त दावे की पुष्टि में आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि वे दावों की पुष्टि में समस्त स्वप्रमाणित प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं करते है तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

(34) अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त **प्रारम्भिक परीक्षा के प्राप्तांक मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।** मुख्य परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांको के आधार पर रिक्त पदों की संख्या के सापेक्ष नियमानुसार अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जायेगा। मुख्य परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जायेगी।

(35) परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों का आयोग द्वारा निर्धारित तिथि में सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन के दौरान यदि अभ्यर्थी के अर्हता के संबंध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(36) परीक्षा तिथि, समय एवं परीक्षा कार्यक्रम व परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित सूचना आयोग की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने वाले प्रवेश–पत्रों द्वारा प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(37) अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने होंगे। किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को उत्तर देने के लिए कोई श्रुत लेखक नहीं दिया जायेगा, परन्तु दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के लिए श्रुत लेखक की व्यवस्था अनुमन्य होगी। श्रुत लेखक की शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट से अधिक नहीं होगी। दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को परीक्षा के प्रत्येक घण्टे के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय अनुमन्य होगा, परन्तु श्रुत लेखक की अनुमति आयोग से परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अवश्य प्राप्त करनी होगी, जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा श्रुत लेखक की शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्र शपथ पत्र के साथ प्रार्थना पत्र सहित आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

(38) **न्यूनतम अर्हक अंक** उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रकिया नियमावली–2012 (प्रथम संशोधन–2013, द्वितीय संशोधन–2014, तृतीय संशोधन–2015) व (चतुर्थ संशोधन–2016) के अनुसार प्रश्नगत परीक्षा के विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों को नियमावली द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। न्यूनतम अर्हक अंक धारित करने वाले अभ्यर्थियों को ही मैरिट के आधार पर अगले चरण हेतु सफल घोषित किया जायेगा।

07/12/18

(आनन्द स्वरूप)
सचिव।

परिशिष्ट–1

प्रारम्भिक परीक्षा निम्न नगरों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में परीक्षा केन्द्र के लिए नगर हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत करें। नगरों की सूची इस प्रकार है–

क्रम सं0	नगर का नाम	नगर कोड
1	अल्मोड़ा	01
2	हल्द्वानी	02
3	हरिद्वार	03
4	श्रीनगर	04

नोटः– 1. यदि किसी परीक्षा केन्द्र हेतु अभ्यथियों की संख्या कम होगी तो उन अभ्यर्थियों को नजदीक के परीक्षा केन्द्र आंवटित किये जाऐंगे।

2. मुख्य परीक्षा हरिद्वार नगर के केन्द्रों पर ही आयोजित की जाएगी।

परिशिष्ट–2

स्कीनिंग / प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यकम (सभी पदों हेतु)

Syllabus of Screening/Preliminary Examination (for all post)

General Knowledge (objective Type)

Time Allowed 03 Hours **MM: 200**

(i) General Science
(ii) Current Affairs (National & International)
(iii) Indian History & World History
(iv) Indian Geography & World Geography
(v) Legal Glossary
(vi) Legal History
(vii) Knowledge of Uttarakhand (History, Geography,Economy & Polity Based)
(viii) Constitution of India
(ix) Computer Science & its Applications

मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम तथा परीक्षा योजना
Syllabus and Scheme of Main Examination

पदनाम– सहायक समीक्षा अधिकारी (**Assistant Review Officer**)

मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम तथा परीक्षा योजना

Paper I- English Language

Time Allowed: 03 Hours **MM: 200**

i. Word, Phrases, Synonyms, Opposites
ii. Essay
iii. Precis Writing
iv. Grammar
v. Translation from English to Hindi
vi. Letter Writing (formal)
vii. Summary Writing

Paper II- Hindi Language

Time Allowed : 03 Hours **MM: 200**

i. Word, Phrases, Synonyms, Opposites
ii. Essay
iii. Precis Writing
iv. Grammar
v. Translation from Hindi to English
vi. Letter Writing (formal)
vii. Summary Writing

Paper - III

Basic Knowledge of Computer Operation - Practical Examination (Qualifying Nature)

Time- 1 Hours **Max. Marks- 100**
Minimum Qualifying Marks- 40

Microsoft Windows Operating system and Microsoft Office; The paper shall be set from the given syllabus broadly taking one question from each i.e. - (1) Windows and internet. (2) M.S. - Word. (3) M.S. - Excel and (4) M.S. - Power Point.

Note -1 - Each question shall have one action to be performed on the system each having 25 marks.

Note -2 - Printout of the output shall be taken and given for evaluation.

Paper IV- English Typing (Qualifying Nature)

Type writing with minimum speed of 9000 key-depression per hour in English.

नोट: कम्प्यूटर पर 10 मिनट में न्यूनतम 1500 की–डिप्रेशन की गति की अंग्रेजी टंकण परीक्षा ली जायेगी।

पदनाम– टाईपिस्ट (Typist)

मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम तथा परीक्षा योजना

Paper I- English Language

Time Allowed: 03 Hours **MM: 200**

(i) Word, Phrases, Synonyms, Opposites
(ii) Essay
(iii) Precis Writing
(iv) Grammar
(v) Translation from English to Hindi
(vi) Letter Writing (formal)
(vii) Summary Writing

Paper II- Hindi Language

Time Allowed : 03 Hours **MM: 200**

(i) Word, Phrases, Synonyms, Opposites
(ii) Essay
(iii) Precis Writing
(iv) Grammar
(v) Translation from Hindi to English
(vi) Letter Writing (formal)
(vii) Summary Writing

Paper III- Computer (Practical/Qualifying Nature)

The Speed of 9000 key depression per hours Compulsory in English will be judged by conducting a speed test on the E.D.P. Machine (s) by the competent Authority.

नोट: कम्प्यूटर पर 10 मिनट में न्यूनतम 1500 की–डिप्रेशन की गति की अंग्रेजी टंकण परीक्षा ली जायेगी।

पदनाम– अनुवादक (Translators)

मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम तथा परीक्षा योजना

Paper I : Language

Time- 3 Hours **Max. Marks- 200**

English (Max. Marks- 100) **(Part -1)**

Attempt all questions.

1. Comprehension of a prose passage of about 250 words.
(The passage for comprehension should test the candidate's knowlege of English language as well as his/her understanding of the organization of facts and thoughts into language. So questions should focus both on the ideas contained in the passage and on language components - 04 questions of 03 marks each on content, 04 questions of 02 marks each on language: antonyms, synonyms, meaning of words etc.) **20 Marks**
2. Summary with a title of a prose passage of about 200 words.08+02 = **10 Marks**
3. Elaboration of a maxim or an idea or a statement (out of 04 options) into 100 words. **15 Marks**
4. Correction of errors in given sentences. **10 Marks**
5. Transformation of sentences. **10 Marks**
6. Use of five (out of seven) idioms, phrases and phrasal verbs into sentences so as to make their meanings clear. **10 Marks**
7. Use of five (out of seven) Latin and French words / expressions commonly used in English into sentences so as to make their meanings clear. **10 Marks**
8. (A) identifying parts of speech in given sentence/sentences. **05 Marks**
(B) Converting the identified part of speech into another part of speech by using them in sentences. **05 Marks**
9. One-word substitution. **05 Marks**

(Part -2)

हिन्दी भाषा

सभी प्रश्न अनिवार्य है :– अधिकतम अंक– 100

1. अपठित गंद्याश से दो–दो अंक के पांच रेखांकित अंशों के विषय में अर्थ/स्पष्टीकरण/व्याख्या पूछे जाय। 10 अंक
2. संक्षेपण – दिए गये गद्यांश को एक तिहाई शब्दों में लिखा जाना। 10 अंक
3. विस्तारीकरण – किसी वाक्य/वाक्यांश का लगभग 250 शब्दों में विस्तारीकरण। 10 अंक
4. व्याकरण का ज्ञान – (1) ध्वनि वर्गीकरण (स्वर, व्यंजन का वर्गीकरण) 05 अंक
5. शब्द रचना – उपसर्ग, प्रत्यय तथा परसर्ग। 05 अंक
शब्द भेद (1) संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि। 20 अंक
(2) तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी एवं संकर आदि।
6. पर्यायवाची शब्द (पांच शब्दों के एक–एक पर्यायवाची पूछे जायेंगे)। 05 अंक

7. विलोम शब्द (पांच शब्दों के एक–एक विलोम शब्द पूछे जायेंगे)। 05 अंक
8. अनेकार्थी शब्द (तीन शब्द दो–दो अंक के पूछे जायेंगे)। 06 अंक
9. संधि और समास (दो–दो अंक के दो शब्द पूछे जायेंगे)। 04 अंक
10. वर्तनी विषयक अशुद्धियां (पांच अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप)। 05 अंक
11. वाक्यांश के लिए एक शब्द (पांच वाक्यांश के एक–एक शब्द)। 05 अंक
12. लोकोक्ति (कुल पाँच) एवं मुहावरों (कुल पाँच) का अर्थ सहित वाक्यों में प्रयोग। 10 अंक

Paper II – Translation and Drafting

Time- 3 Hours **Max. Marks- 200**

This paper will consist of seven questions and all questions shall be compulsory.

1. Translation : English into Hindi **50 Marks**
2. Translation : Hindi into English **50 Marks**
3. Noting and Drafting in Hindi and English. **20 Marks**
   (a) English . *10 Marks*
   (b) Hindi . *10 Marks*

   Aspects of Drafting
   (a) A letter to the Registrar General of Hon'ble High Court/ Hon'ble Supreme Court related to P.I.L..
   (b) A letter to the S.S.P/D.M. pertaining to Law and Order.
   (c) Complaint to the public authorities.
   (d) Letter to the editor of news paper on the problems of corruption, Law and Order, rising prices, public grievances, etc.
   (e) And similar matters.
4. Precis writing of a given passage in one third words. **20 Marks**
5. Essay in English. **20 Marks**
   Topics- such as :
   Literary.
   Social and Economic.
   Communication and information.
   Education.
   Environment.
   Political system and Human rights.
   Science and Technology.
   Current Issues, etc.
6. Legal words and their meanings **20 Marks**
7. Legal maxims and their meanings. **20 Marks**

   For example : Habeas corpus
   : Audi alteram partem
   : Adhoc.
   Ipso facto.
   Ejusdem Generis
   Status quo.
   quid pro quo.
   Ultra vires, etc,.

Paper - III

Computer Operation - Practical Examination (Qualifying Nature)

Time- 1 Hours **Max. Marks- 100**

Minimum Qualifying Marks- 40

Microsoft Windows Operating system and Microsoft Office; The paper shall be set from the given syllabus broadly taking one question from each i.e. - (1) Windows and internet. (2) M.S. - Word. (3) M.S. - Access. (4) M.S. - Excel and (5) M.S. - Power Point.

Note -1 - Each question shall have one action to be performed on the system each having 20 marks.

Note -2 - Printout of the output shall be taken and given for evaluation.

पदनाम– असिस्टेंट लाइबेरियन (**Assistant Librarian**)

मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम तथा परीक्षा योजना

Paper I- (Theory) Compulsory

Time Allowed : 03 Hours **MM: 200**

(i) The Library and Community (Organisation)

(ii) Government and Management of Libraries (Administration)

(iii) Classification of cataloguing

(iv) Bibliography (Physical, Analytical, Descriptive and Subjective) and Book selection

(v) Reference and Information services

Paper II- (Theory) Optional (One of the three)

Time Allowed: 03 Hours **MM: 200**

(i) Academic or National Libraries

OR

(ii) Special Libraries and Information Centre's.

OR

(iii) Advanced Practical Administration of Public Library Service

Paper - III Computer Operation - Practical Examination (Qualifying Nature)

Time- 1 Hours **Max. Marks- 100**

Minimum Qualifying Marks- 40

Microsoft Windows Operating system and Microsoft Office; The paper shall be set from the given syllabus broadly taking one question from each i.e. - (1) Windows and internet. (2) M.S. - word. (3) M.S. - Access. (4) M.S. - Excel and (5) M.S. - Power Point.

Note -1 - Each question shall have one action to be performed on the system each having 20 marks.

Note -2.- Printout of the output shall be taken and given for evaluation.

परिशिष्ट– 4

Logo of Office (If available)

Experience Certificate

Name of Deptt./Office: ....
Address of Deptt./Office: ....
Date of Reg. of Company/Firm/Society/Institution/Trust: ....
Registration No.of Company/Firm/Society/Institution/Trust····················
Telephone No···
Website:..

Ref. No. :-

This is to certify that Shri /Smt. /Km. .... Son /Daughter /Wife of shri.. is an employee of this Department/Organization/Company/Firm/ Society /Institution/Trust and duties performed by him during the period (s) are as under:

Name of post held	From dd/mm/yy	To dd/mm/yy	Total Period yy/mm/dd	Nature of appointment (Permanent-Regular/ Temporary/ Part-time/ Contract/ Visiting faculty/Daily wages/ Honorary, etc.)	Nature of Experience: Specialty/Field of Research/Technical / Administration/ Academic or any other experience.	Pay scale and last salary drawn	Duties performed/ experience gained in brief in each post (Please give details)	Place of posting	Worked at supervisory level/ middle management level/head of branch/ other
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

It is also certified that above facts and figures are true and based on service records available in our Department/Organization/Company/Firm/ Society/Institution/Trust.

Date :
Place :

Sign ....
(Signature & Name of Authorized Signatory in Capital Letters)

Designation with seal

Name & Signature of Candidate :

* All fields in this form are mandatory to be filled. Incomplete format will not be accepted in any case.

परिशिष्ट–5

सहायक समीक्षा अधिकारी, टाईपिस्ट एवं असिस्टेंट लाइब्रेरियन पदों हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक–

1. **प्रारम्भिक / स्क्रीनिंग परीक्षा हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक**

क0सं0	श्रेणी एवं उपश्रेणी	न्यूनतम अर्हकारी अंक
1	सामान्य श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	35 प्रतिशत
2	अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	30 प्रतिशत
3	अनु0जाति / अनु0जनजाति एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	25 प्रतिशत

2. **अन्तिम चयन हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक**

क0सं0	श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	न्यूनतम अर्हकारी अंक
1	सामान्य श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	45 प्रतिशत
2	अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	40 प्रतिशत
3	अनु0जाति / अनु0जनजाति एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	35 प्रतिशत

अनुवादक पद हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक–

प्रारम्भिक / स्क्रीनिंग एवं अन्तिम चयन हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक

क0सं0	श्रेणी एवं उपश्रेणी	न्यूनतम अर्हकारी अंक
1	सामान्य श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	50 प्रतिशत
2	अनु0जाति / अनु0जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी एवं उनसे सम्बन्धित उपश्रेणी	45 प्रतिशत

टिप्पणी– टंकण परीक्षा एवं कम्प्यूटर की आधारभूत ज्ञान के अर्हकारी परीक्षा हेतु मुख्य परीक्षा के मेरिट के आधार पर रिक्तियों के सापेक्ष 05 गुना की संख्या में अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा।